




नीलामी सूचना  
कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मेरठ ।

जनपद न्यायालय मेरठ में बेकार पड़े टीन, लोहे की ग्रिल, गेट, स्केप व पुरानी लकड़ी इत्यादि की नीलामी दिनांक 22.03.2022 को सायं 04:00 बजे चौदह न्यायालय भवन के सभागार कक्ष में की जानी है। जिसकी बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा अंकन 50,000-00 रुपये (अंकन पचास हजार रुपये मात्र) प्रति बोलीदाता की दर से नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट जो कि जनपद न्यायाधीश, मेरठ के पक्ष में देय हो को, धरोहर धनराशि कैशियर, सिविल कोर्ट, मेरठ के पास नगद जमा दिनांक 22.03.2022 को समय दोपहर 11:00 बजे तक करानी होगी। प्रथम 3 उच्च बोलीदाताओं को छोड़कर शेष की धरोहर धनराशि उसी दिन वापस कर दी जायेगी। बोली की स्वीकार अथवा अस्वीकार किये जाने सम्बन्धी अन्तिम निर्णय जिला न्यायाधीश महोदय मेरठ का होगा। नीलामी को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के पक्ष में बोली छोड़ी जायेगी। उसे बकाया धनराशि अंदर तीन दिवस में नजारत अनुभाग में जमा करनी होगी। नीलामी की सभी शर्तें नजारत अनुभाग में किसी भी कार्यदिवस में केन्द्रीय नाजिर के पास देखी जा सकती हैं।

  
(देवेन्द्र नाथ गोस्वामी)  
सदस्य, नीलामी समिति /  
सिविल जज (सी0डि0),  
मेरठ

  
(सुरेश चन्द-द्वितीय)  
सदस्य, नीलामी समिति /  
अपर जिला न्यायाधीश,  
न्यायालय सं0-03, मेरठ

  
(फूलचन्द पटेल)  
अध्यक्ष, नीलामी समिति /  
अपर जिला न्यायाधीश,  
न्यायालय सं0-01, मेरठ